अध्याय 3: विनियोग लेखे पर टिप्पणियां

3.1 प्रस्तावना

2017-18 के दौरान स्वीकृत मांगों के प्रति भारत सरकार (भा.स.) का कुल व्यय ₹ 88,81,034 करोड़ था, जिसमें से ₹ 81,80,553 करोड़ (92.11 प्रतिशत) सिविल मंत्रालयों (96 अनुदानें), ₹ 3,81,568 करोड़ (4.30 प्रतिशत) रेलवे (एक अनुदान), ₹ 2,92,131 करोड़ (3.29 प्रतिशत) रक्षा (दो अनुदान) तथा ₹ 26,782 करोड़ (0.30 प्रतिशत) डाक विभाग (एक अनुदान) द्वारा व्यय किया गया था। ब्यौरे **अनुबंध 3.1** में दिए गए हैं।

संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा पारित किए गए विनियोग के अतिरिक्त कोई भी धन भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जाएगा। सामान्य वित्तीय नियमावली (सा वि नि), 2017, अनुबंध करती है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् या आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम प्राप्त करने की स्थिति को छोड़ कर ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया जाए जिसके प्रभाव से व्यय किसी वित्तीय वर्ष के लिए कानून से संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान या विनियोग से अधिक हो जाए।

इसके अतिरिक्त, लेखा अधिकारी बजट प्रावधानों के आधिक्य में संस्वीकृतियों के प्रति किसी भुगतान को अनुमत नहीं करेगा जब तक कि मुख्य लेखांकन प्राधिकारी, अर्थात्, संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव का विशिष्ट अनुमोदन नहीं हो। किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य की सहमति प्रदान करने से पूर्व वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखांकन प्राधिकारी पुनर्विनियोग/अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।

3.2 अधिक व्यय वाले अनुदान/विनियोग

विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा ने जवाबदेही लागू करने में उच्चतम से न्यूनतम स्तरों के लेखांकन प्राधिकारियों की विफलता को प्रकट किया जिसका परिणाम ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों के उल्लंघन में हुआ जो 2017-18 के दौरान संसदीय

स्वीकृति से ₹ 99,610 करोड़ के अधिक व्यय का कारण बना। ब्यौरे **तालिका 3.1** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1: अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल विनियोग	व्यय	अधिक व्यय
1.	20 -रक्षा सेवाएं (राजस्व) **राजस्व (दत्तमत)**	1,98,263.75	2,01,655.68	3,391.93
2.	21-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय **पूंजीगत (प्रभारित)**	341.37	545.72	204.35
3.	21 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय **पूंजीगत (दत्तमत)**	86,339.96	89,892.68	3,552.72
4.	38-विनियोग -ऋण का पुनर्भुगतान **पूंजीगत (प्रभारित)**	57,80,270.94	58,72,604.63	92,333.69
5.	39- **पेंशन** **राजस्व (दत्तमत)**	40,895.00	41,022.62	127.62

संसद द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर ऐसे आधिक्य व्यय संसद की इच्छा तथा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, कि संसद के अनुमोदन के बिना एक रूपया भी खर्च नहीं किया जा सकता है, का उल्लंघन है तथा इसलिए, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

अन्य अनियमतताएं अनुवर्ती अनुच्छेदों में दी गई हैं। यह विफलताएं इस तथ्य द्वारा संयोजित है कि इस प्रकार की अनियमितताओं को सीएजी के पिछले प्रतिवेदनों में लगातार सूचित किया गया है, फिर भी संबंधित लेखांकन प्राधिकारी द्वारा संसदीय बजटीय नियंत्रण के उल्लंघन को रोकने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

3.3 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचतें (अनुदान स्तर)

लोक लेखा समिति (पीएसी) (10वीं लोकसभा, 1993-94) ने अपने 60वें प्रतिवेदन (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

त्रुटिपूर्ण बजट बनाने के साथ-साथ अनुदान या विनियोग में निष्पादन की कमी का सूचक हैं। बड़ी बचतें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट बनाने अथवा निष्पादन में कमी या दोनों के सूचक हैं।

अनुवर्ती पैराग्राफ दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने वास्तविक आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा बजट-पूर्व बैठकों का आयोजन करने की क्रियाविधि तथा वास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों को सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा का वांछित प्रभाव नहीं हुआ।

2017-18 के दौरान विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत कुल सकल बचतें[1] (आधिक्य पर विचार किए बिना) ₹ 2,50,228 करोड़ (कुल प्राधिकृत का 2.77 प्रतिशत) थीं। ऐसी बचतों ने न केवल खराब बजट बनाने को दर्शाया बल्कि करों आदि के माध्यम से संसाधनों का अनावश्यक प्रावधान करने तथा अर्थव्यवस्था के अन्य योग्य क्षेत्रों को संसाधनों से वंचित करने का संकेत भी दिया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल बचतों में से, कुल ₹ 2,47,227 करोड़ (98.80 प्रतिशत) की ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें 54 अनुदानों के 72 खण्डों[2] में हुई थी। इनमें से, ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की निरंतर बचतें पिछले तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18) के दौरान 30 अनुदानों/विनियोगों के 38 खण्डों में थी।

बड़ी बचतें[3] (₹ 5000 करोड़ अथवा अधिक) निम्नलिखित अनुदानों में थीं जैसा **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

---

[1] बचतों में वित्त मंत्रालय द्वारा मितव्ययी उपाय के प्रति की गई अनिवार्य कटौतियां भी शामिल हैं।

[2] प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत चार खण्ड अर्थात् राजस्व (दत्तमत), राजस्व (प्रभारित) पूंजीगत (दत्तमत) तथा पूंजीगत (प्रभारित) हैं।

[3] एक अनुदान/विनियोग में कुल बचतें

तालिका 3.2: अनुदानों/विनियोगों में बड़ी बचतों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचतें (कुल अनुदान की % के रूप में)
1.	80-रेलवे मंत्रालय	4,32,244	3,81,568	50,676 *(11.72)*
2.	16-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	2,05,015	1,56,787	48,228 *(23.52)*
मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'खाद्यान्नों के लेन-देन पर भारतीय खाद्य निगम तथा अन्यों को देय अनुवृत्ति' में हुई थी।				
3.	40-राज्यों को अंतरण	1,57,201	1,28,577	28,624 *(18.21)*
मुख्य बचतें उप-शीर्षों 'गंभीर प्रकृति की आपदाओं हेतु एनडीआरएफ, 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंतरण', 'केन्द्रीय प्रोयोजित योजनाओं हेतु अनुदानें', 'ग्रामीण निकाय अनुदानें', (राज्य)' 'शहरी निकाय अनुदानें (राज्य)' तथा 'विशेष सहायता (राज्य)' के अंतर्गत हुई।				
4.	33-राजस्व विभाग	1,24,097	99,493	24,604 *(19.83)*
मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'राज्यों को राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति' के अंतर्गत हुई।				
5.	14-दूरसंचार विभाग	40,188	31,055	9,133 *(22.73)*
मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'सेवा प्रदात्ताओं को क्षतिपूर्ति', 'सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण' तथा 'हेमिस्पेयर प्रोपर्टिज इण्डिया लिमिटेड में निवेश' के अंतर्गत हुई।				
6.	24- पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	36,333	27,339	8,994 *(24.75)*
मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)' तथा राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण' के अंतर्गत हुई।				
7.	97-शहरी विकास मंत्रालय	38,038	31,405	6,633 *(17.44)*
मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'एमआरटीएस तथा मेट्रो परियोजनाएं', 'स्वच्छ भारत मिशन' तथा 'शहरी विकास निर्माण' के अंतर्गत हुई।				
8.	1-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	52,668	46,455	6,213 *(11.80)*
मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'किसानों को लघु अवधि क्रेडिट हेतु ब्याज अनुवृत्ति', 'प्रावधान का समायोजन' तथा 'हरितक्रांति -कृषोन्नति योजना' के अंतर्गत हुई।				

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>अनुदान सं. तथा नाम</th><th>कुल अनुदान/विनियोग</th><th>व्यय</th><th>बचतें (कुल अनुदान की % के रूप में)</th></tr>
<tr><td>9.</td><td>29-आर्थिक कार्य विभाग</td><td>15,690</td><td>9,490</td><td>6,200
(39.52)</td></tr>
<tr><td colspan="5">मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि को अंतरण', 'एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद-सिक्के', 'नई योजना' तथा 'उधार की नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत आईएमएफ को कर्जे' के अंतर्गत हुई।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</td><td>87,486</td><td>81,559</td><td>5,927
(6.77)</td></tr>
<tr><td colspan="5">मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण हेतु निधि', 'एनआरएचएम-आरसीएच फ्लैक्सिबिल पूल', 'राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं पोलियों उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण हेतु सामग्री सहायता', एआईआईएमएस प्रकार के अति -विशेषता वाले अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और 'राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन' के अंतर्गत हुई।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>81-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</td><td>1,22,898</td><td>1,17,153</td><td>5,745
(4.67)</td></tr>
<tr><td colspan="5">मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'राज्य सड़कों हेतु अनुदान', 'सड़कें स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य', 'राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य', 'केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्ग से संबंधित योजनाएं' तथा 'केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण' के अंतर्गत हुई।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>7-उर्वरक विभाग</td><td>94,797</td><td>89,788</td><td>5,009
(5.28)</td></tr>
<tr><td colspan="5">मुख्य बचतें उप-शीर्ष 'यूरिया अनुवृत्ति' के अंतर्गत हुई थीं।</td></tr>
</table>

पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की बचतें तीन अनुदानों- राज्यों को अंतरण, आर्थिक कार्य विभाग तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में पाई गई हैं। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने के पश्चात भी बड़ी बचतों को नियंत्रित करने हेतु लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

3.4 अनुदान स्तर पर अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान

2017-18 के दौरान 15 अनुदानों के 18 मामलों में, नकद अनुपूरक[4] प्रावधान उच्च व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे परंतु संपूर्ण नकद अनुपूरक अप्रयुक्त रहा। ऐसे 11 मामलों में कुल ₹ 11,017 करोड़ का नकद अनुपूरक प्राप्त किया गया था जहां वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से भी कम था जिसका ब्यौरा **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: अनावश्यक नकद अनुपूरक जो बचतों का कारण बना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक व्यय	बचतें (नकद अनुपूरक की %)
सिविल अनुदानें राजस्व (दत्तमत))						
1.	12 –औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	3,599	2,000	2,000	3,527	2,072 (104)
बड़ा नकद अनुपूरक 'माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय समर्थन' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
2.	15 –उपभोक्ता मामले विभाग	3,723	500	500	3,714	509 (102)
बड़ा नकद अनुपूरक 'मूल्य स्थिरीकरण निधि' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
3.	16 -खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	1,50,953	3,539	3,487	1,06,287	48,205 (1382)
बड़ा नकद अनुपूरक 'खाद्यान्न लेन-देनों पर भारतीय खाद्य निगम तथा अन्यों को देय अनुवृत्ति' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
4.	24 -पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	32,333	4,000	4,000	27,339	8,994 (225)
बड़ा नकद अनुपूरक 'स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)' तथा 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
5.	47 –मंत्रीमण्डल	730	20	20	608	142 (710)

[4] तीन प्रकार के अनुपूरक अनुदान हैं अर्थात् नकद, टोकन तथा तकनीकी।
नकद अनुपूरक-जब मंत्रालय/विभाग को मूल बजट प्रावधानों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है तो नकद अनुपूरक प्राप्त किया जाता है।
टोकन अनुपूरक -जब मंत्रालय एक विशेष भाग के अंदर बचतों को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोग करना चाहता है तथा यहां संसद का अनुमोदन अपेक्षित होता है, तो टोकन अनुपूरक प्राप्त किया जाता है।
तकनीकी अनुपूरक -जब मंत्रालय/विभाग को अनुदान के एक भाग में उपलब्ध बचतों को दूसरे भाग से पुनर्विनियोग करने की आवश्यकता होती है तो तकनीकी अनुपूरक प्राप्त किया जाता है।
टोकन तथा तकनीकी अनुपूरक में सीएफआई से निधियों का बहिर्गमन नहीं होता।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	वास्तविक व्यय	बचतें (नकद अनुपूरक की %)
नकद अनुपूरक 'कार्यालय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
6.	94 –वस्त्र मंत्रालय	6,191	34	24	5,919	306 (1275)
नकद अनुपूरक 'मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास का प्रापण' के तहत प्राप्त किया गया था।						
7.	96 –जनजातीय कार्य मंत्रालय	1,133	9	6	1,081	61 (1017)
नकद अनुपूरक जनजातीय कार्य मंत्रालय-सचिवालय के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
8.	97 –शहरी विकास मंत्रालय	17,356	1,170	50	15,984	2,542 (5084)
नकद अनुपूरक भवन पट्टा प्रभार तथा लघु कार्य के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
9.	98 –जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय	8,406	1,151	728	5,700	3,857 (530)
बड़ा नकद अनुपूरक 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना', 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)' तथा 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
पूंजीगत (दत्तमत))						
10.	19 –रक्षा मंत्रालय (विविध)	5,489	500	116	5,036	953 (822)
बड़ा नकद अनुपूरक 'तटरक्षक संगठन' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
11.	97 –शहरी विकास मंत्रालय	19,243	86	86	15,288	4,041 (4699)
नकद अनुपूरक 'अन्य मंत्रालयों/विभागों की कार्यालय ईमारत' के अंतर्गत प्राप्त किया गया था।						
			कुल	**11,017**		

3.5 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(क) लघु/उप-शीर्षों को

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ अनुदानों/विनियोजनों के 11 मामलों में कुल ₹ 825 करोड़ की निधियों का, वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना, विभिन्न लघु/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजन किया गया था। यह पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण थे क्योंकि इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थीं।

(ख) लघु/उप-शीर्ष से

इसी प्रकार, तीन अनुदानों/विनियोजनों के चार मामले में, कुल ₹ 77 करोड़ की निधियों को विभिन्न लघु/उप-शीर्षों से पुनर्विनियोजित किया गया था। यह

पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण थे क्योंकि इनमें प्रत्येक शीर्ष में अधिक व्यय पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था।

पीएसी ने अपने 83वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा, 2012-13) में भी पाया कि निधियों का पुनर्विनियोजन केवल तभी किया जा सकता है जब यह निश्चित रूप से ज्ञात अथवा वास्तव में प्रत्याशित हो कि उस इकाई, जिसमें से निधियों को अंतरित किया जाना प्रस्तावित है, उसके लिए विनियोजन का पूरा उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा उचित अवश्यंभाविता है कि विनियोजन की इकाई में बचतें की जा सकती हैं।

3.6 बजट प्रावधान के बिना व्यय

रेल मंत्रालय ने संसद के बजटीय स्वीकृति के बिना रेलवे सुरक्षा निधि (आरएसएफ) को ₹ 160 करोड़ का अंतरण किया।

3.7 प्रावधान को बढ़ाने के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के आदेश (मई 2006) तथा स्पष्टीकरण (मई 2012), 'नई सेवा (एनएस)/सेवा के नए साधन (एनआइएस)' से संबंधित मामलों को निर्धारित करने में देखे जाने वाली वित्तीय सीमाओं पर संशोधित दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करते हैं। 'नई सेवा' भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(अ) में प्रकट हो रही एक नई गतिविधि अथवा निवेश के एक नए प्रकार सहित एक नया नीति निर्णय, जिसे पहले संसद के संज्ञान में नहीं लाया गया था, से उत्पन्न हो रहे व्यय से संदर्भित है तथा 'सेवा के नए साधन' एक मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न हो रहे अपेक्षाकृत बड़े व्यय को इंगित करता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, वस्तु शीर्ष (i) 'सहायता अनुदान' (ii) अनुवृत्ति तथा (iii) मुख्य निर्माण कार्य के प्रावधान में पुनर्विनियोजन के माध्यम से कोई भी संवर्धन एनएस/एनआईएस की सीमाओं को आकर्षित करता है तथा इसलिए संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित है।

वस्तु शीर्ष '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर एनएस/एनआईएस के मामलों के संबंध में, निधियों के ₹ 2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक संवर्धन से संबंधित सभी ममालों को, इस तथ्य के बावजूद कि क्या संवंर्धन नए निर्माण कार्य अथवा मौजूदा निर्माण कार्य के लिए है, संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

पीएसी ने अपने 83वें प्रतिवेदन में भी वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' तथा 'अनुवृत्ति' के प्रावधान के संवर्धन के मामलों को गंभीर दृष्टिकोण से देखा है।

पीएसी ने पाया कि 'यह गंभीर कमियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दोषपूर्ण बजट अनुमान तथा वित्तीय नियमावली के त्रुटिपूर्ण अनुपालन का सूचक है'। पीएसी का यह भी विचार था कि 'केवल अनुदेशों को निर्गत करने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, इस मामले में वित्त मंत्रालय की ओर से सभी मंत्रालयों/विभागों पर वित्तीय अनुशासन लागू करने हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि स्थापित करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है जिससे ऐसी कमियों के आवर्तन से बचा जा सके'।

पीएसी की सिफारिशों के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने एक उपयुक्त क्रियाविधि स्थापित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप, 2017-18 के दौरान 13 अनुदानों के निम्नलिखित मामलों में, संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वीकृत निधि से कुल ₹ 1,156.80 करोड़ का अधिक व्यय था।

तालिका 3.4: संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना वस्तु शीर्षों में प्रावधान का संवर्धन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई* के अंतर्गत एसए	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
वस्तु शीर्ष 31- 'सहायता अनुदान-सामान्य'								
अनुदान सं. 14-दूर संचार विभाग								
1.	3275.00.800.15.00.31 सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स	52.00	-	-	-	52.00	78.70	26.70
उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2018)।								
अनुदान सं. 19-रक्षा मंत्रालय (विविध)								

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>लेखा-शीर्ष</th><th>बीई*</th><th>एनई*</th><th>एसए*</th><th>एनई* के अंतर्गत एसए</th><th>टीए*</th><th>टीई*</th><th>टीए से आधिक्य</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>2052.00.092.02.01.31 (094/29, 094/32-34) रक्षा लेखा विभाग (डीएडी)-स्थापना</td><td>0.03</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.03</td><td>0.05</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2052.00.092.03.96.31 (094/54) रक्षा संपदा संगठन (डीईओ)-स्वच्छता कार्य योजना</td><td>-</td><td>-</td><td>5.00</td><td>-</td><td>5.00</td><td>12.03</td><td>7.03</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>3054.02.800.01.00.31 (066/07) भूटान क्षतिपूर्ति भत्ता</td><td>30.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>30.00</td><td>30.01</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td colspan="9">सीजीडीए ने बताया (सितम्बर 2018) कि शीर्ष-2052.00.092.02.01.31 के अंतर्गत- ₹ 0.0335 करोड़ के बजाय ₹ 0.10 करोड़ का कुल प्राधिकरण था। इस प्रकार, ₹ 0.0201 करोड़ से अधिक के बजाय ₹ 0.0464 करोड़ की बचत थी। शीर्ष 2052.00.092.03.96.31 के अंतर्गत, ₹ 7.0316 करोड़ की सीमा से अधिक व्यय से संबंधित मामला संबंधित विभाग के साथ उठाया जा रहा था। शीर्ष 3054.02.800.01.00.31 के अंतर्गत, अधिक राशि कुल प्रावधान के एक प्रतिशत से कम थी।
उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शीर्ष 2052.00.092.02.01.31 के अंतर्गत कुल प्राधिकरण केवल ₹ 0.0335 करोड़ था तथा ₹ 0.0665 करोड़ पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान किया गया था, जो कि संसद द्वारा अनुमोदित नहीं था। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' को कोई भी संवर्धन संसद के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td colspan="9">अनुदान सं. 33-राजस्व विभाग</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2047.00.800.03.00.31 राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को अनुदान</td><td>1.86</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.86</td><td>1.92</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td colspan="9">विभाग ने बताया (अगस्त 2018) कि एमओएफ का ओएम दिनांक 25 मई 2006 प्रावधान करता है कि जहां एक विशेष योजना के अंतर्गत, सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु एकमुश्त प्रावधान किया जाता है वहां प्रभाजन (एकमुश्त का 10 प्रतिशत या 1 करोड़, जो भी अधिक हो) के विवरण को संसद को सूचित किया जाना चाहिए। राज्यों को अनुदान के एकमुश्त प्रावधान के मामले में, राज्य-वार संवितरण संसद को सूचित किया जाना चाहिए।
वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को सहायता अनुदान सामान्य के रूप में प्रदान किए गए ₹ 186.00 लाख के दत्तमत प्रावधान के प्रति केवल ₹ 6.00 लाख की वृद्धि थी तथा 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। इसलिए संसद को सूचित किया जाना अपेक्षित नहीं था।
विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओएफ ने स्पष्ट किया था (मई 2012 तथा जुलाई 2015) कि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोजन के द्वारा वस्तुशीर्ष 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत संवर्धन के सभी मामलों में अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है। इस मामले में संसद का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="9">अनुदान सं. 44-भारी उद्योग विभाग</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2852.80.800.37.03.31 विकास ऑटोमोबाइल उद्योग - ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद</td><td>17.50</td><td>-</td><td>4.18</td><td>-</td><td>21.68</td><td>24.10</td><td>2.42</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>लेखा-शीर्ष</th><th>बीई*</th><th>एनई*</th><th>एसए*</th><th>एनई* के अंतर्गत एसए</th><th>टीए*</th><th>टीई*</th><th>टीए से आधिक्य</th></tr>
<tr><td colspan="9">विभाग ने बताया (सितम्बर 2018) कि एकमुश्त प्रावधान ऑटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद (डीसीएएआई) के अंतर्गत किया गया था जो वित्त मंत्रालय के ओएम दिनांक 25 मई 2006 के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त ₹ 2.42 करोड़ का पुनर्विनियोजन एनआईएस के अन्तर्गत शामिल नहीं था क्योंकि इसमें मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से होने वाले बड़ा व्यय शामिल नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोजन के माध्यम से वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत किसी भी संवर्धन को अनुदानों के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है।</td></tr>
<tr><td colspan="9">अनुदान. 48 - पुलिस</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2055.00.001.07.01.31
ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन</td><td>0.28</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.28</td><td>0.31</td><td>0.03</td></tr>
<tr><td colspan="9">विभाग ने बताया (अगस्त 2018) कि उपरोल्लेखित मामले के संबंध में, 2017-18 के लिए बजट अनुमान को 2017-18 के आरई स्तर में रखा गया था। अतिरिक्त निधियों के लिए न तो मांगे प्राप्त हुई थी और न ही मंत्रालय द्वारा कोई अतिरिक्त निधियां प्रदान की गई थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन' के अंतर्गत सहायता अनुदान-सामान्य हेतु संसद से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="9">अनुदान सं. 74- विद्युत मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2801.05.001.06.01.31
एनईआर हेतु विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक अनुदान- एनईआर हेतु विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना</td><td>-</td><td>84.00</td><td>-</td><td>-</td><td>84.00</td><td>187.50</td><td>103.50</td></tr>
<tr><td colspan="9">मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2018) कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत प्रणाली सुधार योजना के अंतर्गत ₹ 103.50 करोड़ का व्यय करने हेतु आवश्यक अनुमोदन 2017-18 के लिए संसद से अनुपूरक माँगों के द्वितीय खेप में प्राप्त कर लिया था तथा वित्त मंत्रालय द्वारा पुनर्विनियोजन हेतु आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2017-18 के लिए अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के दौरान संसद से वस्तु शीर्ष-'31' के अंतर्गत ऐसा कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="9">अनुदान सं. 90 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>2235.02.789.01.03.31
राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान (एससीएसपी संघटक)</td><td>0.50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.50</td><td>1.30</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>2235.02.796.03.04.31
राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान (टीएसपी संघटक)</td><td>0.50</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.50</td><td>0.80</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td colspan="9">विभाग ने बताया (अक्तूबर 2018) कि चूंकि निधियां योजना के एससीएसपी तथा टीएसपी संघटक के अंतर्गत बीई में आबंटित की गई थीं, इसलिए ₹ एक लाख की टोकन राशि की न तो मांग की गई थी और न ही योजना के किसी भी संघटक में क्रेडिट की गई थी।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई* के अंतर्गत एसए	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान' के एससीएसपी एवं टीएसपी संघटक के अंतर्गत 'सहायता अनुदान-सामान्य' हेतु विशेष अनुमोदन संसद से प्राप्त नहीं किया गया था।								
अनुदान सं.20-रक्षा सेवाएं (राजस्व)								
11	2076.00.800-थल सेना (कोड शीर्ष 577/02)	21.69	-	-	-	21.69	23.61	1.92
12	2078.00.800-वायु सेना (कोड शीर्ष 791/00)	2.03	-	-	-	2.03	3.03	1.00
2080.00.004-अनुसंधान/अनुसंधान विकास								
13	अलौकिक अनुसंधान एवं बौद्धिक सम्पदा अधिकार (कोड शीर्ष 852/07)	52.54	-	-	-	52.54	170.86	118.32
14	वैमानिक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (कोड शीर्ष 852/02)	2.46	-	-	-	2.46	15.56	13.10
15	आयुध अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (एआरएमआरईबी) (कोड शीर्ष 852/04)	4.00	-	-	-	4.00	4.49	0.49
16	जीवन विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (एलएसआरबी) (कोड शीर्ष 852/05)	0.05	-	-	-	0.05	5.63	5.58
17	नौसैनिक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (एनआरबी) (कोड शीर्ष 852/03)	0.65	-	-	-	0.65	8.01	7.36
वस्तु शीर्ष 35–'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'								
अनुदान सं. 19-रक्षा मंत्रालय (विविध)								
18	2052.00.092.03.01.35 (कोड शीर्ष 094/89) रक्षा संपदा संगठन (डीईओ)-स्थापना	25.62	-	36.82	-	62.44	63.44	1.00
अनुदान सं. 48- पुलिस								
19	2055.00.115.08.00.35 राज्य पुलिस संगठन को वस्तु रूप में सहायता	77.00	-	-	-	77.00	80.45	3.45
यह बताया गया (अगस्त 2018) कि उपरोक्त मामले के संबंध में 2017-18 के लिए बजट प्राक्कलन को आरई स्तर 2017-18 में रखा गया था। अतिरिक्त निधियों के लिए न तो मांगें प्राप्त हुई थी और न ही मंत्रालय द्वारा कोई अतिरिक्त निधियां प्रदान की गई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। विभाग को उपरोक्त योजना एवं वस्तु शीर्ष के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों में संसद से विशेष अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था तथा कोई अतिरिक्त व्यय करने से पहले उक्त लेखाशीर्ष के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाने								

क्र. सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई* के अंतर्गत एसए	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
के लिए पुनर्विनियोजन आदेश जारी करना चाहिए था।								
अनुदान सं. 90 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग								
20	2235.02.789.01.03.35 राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान (एससीएसपी संघटक)	0.50	-	-	-	0.50	4.35	3.85
21	2235.02.796.03.04.35 राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान (टीएसपी संघटक)	3.54	-	-	-	3.54	7.17	3.63
विभाग ने बताया (अक्तूबर 2018) कि चूंकि निधियां योजना के एससीएसपी तथा टीएसपी संघटक के अंतर्गत बीई में आबंटित की गई थीं, इसलिए ₹ एक लाख की टोकन राशि की न तो मांग की गई थी और न ही योजना के किसी भी संघटक में क्रेडिट की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान' के एससीएसपी एवं टीएसपी संघटक के अंतर्गत 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' हेतु संसद से विशेष अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।								
अनुदान सं. 92- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय								
22	3454.02.202.02.00.35 आर.सी बोस क्रिप्टोलॉजी एवं सुरक्षा केन्द्र	20.00	-	-	-	20.00	24.50	4.50
अनुदान सं. 94-वस्त्र मंत्रालय								
23	2851.00.108.17.06.35 ऊनी वस्त्र का विकास-समेकित ऊन विकास कार्यक्रम	0.00	-	3.41	-	3.41	5.00	1.59
उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2018)।								
अनुदान सं. 95-पर्यटन मंत्रालय								
24	3452.01.101.11.00.35 पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	55.00	-	-	-	55.00	57.98	2.98
मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2018) कि ₹ 2.98 करोड़ की राशि योजना विशाल राजस्व परियोजनाओं को सहायता (एलआरजीपी) (3452.01.102.06.00.35) से योजना-केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता (3452.01.101.11.00.35) को पुनर्विनियोजित किया गया था। पुनर्विनियोजन एमओएफ के ओएम सं. 3/15/2015-एफआरबीएम दिनांक 20 फरवरी 2016 के अनुसार किया गया था जो प्रावधान करता है कि 'पुनर्विनियोजन केवल वस्तु शीर्ष के भीतर ही अनुमत होगा।' चूंकि पुनर्विनियोजन अनुदान के एक भाग के भीतर एक ही वस्तु शीर्ष में किया गया था इसलिए यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 'वस्तु शीर्ष-35' के प्रावधान का संवर्धन एनएस/एनआईएस की सीमाओं को आकर्षित करता है और इसलिए मई 2006 तथा मई 2012 में जारी वित्त मंत्रालय के ओ.एम. के अनुसार, संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए था।								

क्र. सं.	लेखा-शीर्ष	बीई*	एनई*	एसए*	एनई* के अंतर्गत एसए	टीए*	टीई*	टीए से आधिक्य
वस्तु शीर्ष33- 'अनुवृत्तियां'								
अनुदान सं.12- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग								
25	2885.02.101.15.03.33 पिछड़ा और दूरस्थ क्षेत्र का औद्योगिक विकास-केन्द्रीय ब्याज अनुवृत्ति योजना	0.01	-	-	-	0.01	129.16	129.15
26	2885.02.101.15.04.33 व्यापक बीमा योजना	0.01	-	-	-	0.01	6.23	6.22
27	2885.02.101.15.08.33 पूंजीगत निवेश अनुवृत्ति	0.01	-	-	-	0.01	647.59	647.58
28	2885.02.101.15.02.33 माल भाड़ा अनुवृत्ति	0.01	-	-	-	0.01	15.45	15.44
विभाग ने बताया (सितम्बर 2018) कि केन्द्रीय ब्याज अनुवृत्ति योजना (सा.), व्यापक बीमा योजना (सा.) तथा पूंजीगत निवेश अनुवृत्ति व्यय दर्ज करने के लिए उसी योजना के कार्यात्मक शीर्ष का द्विभाजन हैं क्योंकि कोई भी व्यय एनईआर शीर्ष में सीधे दर्ज नहीं किया जा सकता। यह भी बताया गया कि परिवहन अनुवृत्ति एवं माल भाड़ा अनुवृत्ति, परिवहन अनुवृत्ति योजना का द्विभाजन है। परिवहन अनुवृत्ति (सा.) व्यय दर्ज करने के लिए उसी योजना का कार्यात्मक शीर्ष है क्योंकि कोई भी व्यय एनईआर शीर्ष में सीधे दर्ज नहीं किया जा सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। बजट परिपत्र 2017-18 का पैरा 7.3 यह अनुबंध करता है कि उत्तर पूवी क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु परियोजना/योजना के प्रति बजट प्रावधानों को मुख्य शीर्ष 2552-'उत्तर पूर्वी क्षेत्र' के अंतर्गत व्यय के उचित कार्यात्मक शीर्ष को अंतिम पुनर्विनियोजन हेतु 'एकमुश्त' के रूप में उपलब्ध कराया गया है। तथापि, ऐसे एकमुश्त प्रावधान को अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में ब्यौरों को दर्शाते हुए विभिन्न कार्यात्मक मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों के तदनुसार वस्तु-शीर्ष स्तर तक विघटित किया जाना चाहिए तथा संभावित पुनर्विनियोजन हेतु मुख्य शीर्ष '2552 -पूर्वोत्तर क्षेत्र' के अंतर्गत प्रावधान किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।								
मुख्य निर्माण कार्य								
अनुदान सं. 21- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय								
29	4076.01.202-निर्माण कार्य	4,712.27	-	100.00	-	4,812.27	4,861.04	48.77
उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2018)।								

** बीई= बजट प्राक्कलन, एनई= एमएच 2552/4552/6552, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, एसए= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, टीए= कुल प्राधिकार, टीई= कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश के अनुसार)।*

3.8 दोषपूर्ण बजटीकरण तथा डीएफपीआर का उल्लंघन

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 (डीएफपीआर) का नियम 8, पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण हेतु वस्तु वर्ग छः

श्रेणीबद्ध करता है, जिसमें वस्तु शीर्ष अर्थात् 51 से 56 एवं 60 को समूहीकृत किया गया है। वस्तु शीर्ष पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है और इसीलिए इन्हें केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अनुरूप होना चाहिए। वर्ग छः के अलावा अन्य सभी वर्ग में आने वाले वस्तु शीर्ष राजस्व प्रकृति के हैं। तदानुसार, ये वस्तु शीर्ष आमतौर पर पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होने चाहिए।

परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदान सं. 4 में, वस्तु शीर्ष 27-'लघु निर्माण कार्य' को पूंजीगत मुख्य शीर्ष (4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय एवं 5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत प्रचालित किया गया था एवं ₹ 61.13 करोड़ के व्यय को डीएफपीआर का उल्लंघन करते हुए बजट में दर्ज किया गया।

उसी प्रकार, ₹ 2.76 करोड़ को कुल चार अनुदानों (दूर संचार विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पोतपरिवहन मंत्रालय एवं युवा कार्य और खेल मंत्रालय) के पांच मामलों में वस्तु शीर्षों को गलत रूप से प्रयोग किया गया। मंत्रालय/विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है जिसे लेखापरीक्षा में देखा जाएगा।

3.9 अनुदान के विभिन्न भागों के बीच गलत वर्गीकरण

रक्षा मंत्रालय एवं अंतरिक्ष विभाग द्वारा राजस्व एवं पूंजी के बीच व्यय को दर्ज करने में गलत वर्गीकरण के दो मामले पाये गये जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

(क) रक्षा मंत्रालय के तहत सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त सड़क रखरखाव, सुरक्षा कवर और एअर-लिफ्ट प्रभारों पर ₹ 2,145 करोड़ के किये गये व्यय को अनियमित रूप से राजस्व भाग के बजाय पूंजीगत भाग में दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को कम बताया गया।

(ख) अंतरिक्ष विभाग द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि वाली मिशन उपभोग्य वस्तुओं पर ₹ 298 करोड़ के व्यय को अनियमित रूप से पूंजीगत भाग के बजाय राजस्व भाग में दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को अधिक बताया गया।

3.10 वस्तु शीर्ष '41-गुप्त सेवा व्यय' में प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने ओएम सं. 6(1)/ई.II-ए/2010 दिनांक 16 फरवरी 2010 के द्वारा 01 जनवरी 1956 तथा 11 सितम्बर 1969 को जारी अपने पूर्व अनुदेशों को दोहराया है कि किसी निधि के पुनर्विनियोजन जिससे वस्तु शीर्ष '41-गुप्त सेवा व्यय' का प्रावधान, सम्पूर्ण अनुदान के मूल प्रावधान के 25 प्रतिशत या उससे अधिक तक बढ़ जाता है तो इसे केवल सीएजी के पूर्वानुमोदन से ही किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में दो दृष्टांत पाये गये जहां वित्त मंत्रालय ने पुनर्विनियोजन से पहले सीएजी के पूर्वानुमोदन के संबंध में अपने स्वयं के आदेशों का उल्लंघन किया। विवरण नीचे दिया गया हैः

(क) वर्ष 2017-18 के लिए गृह मंत्रालय के तहत पुलिस से संबंधित अनुदान - 48 हेतु वस्तु शीर्ष, '41-गुप्त सेवा व्यय' में कुल मूल प्रावधान ₹ 163.65 करोड़ था। गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से उपरोक्त वस्तु शीर्ष के तहत प्रावधान को बढ़ाने के लिए ₹ 150 करोड़ का पुनर्विनियोजन आदेश (04 जनवरी 2018) जारी किया।

(ख) इसी तरह, गृह मंत्रालय के तहत कैबिनेट से संबंधित अनुदान सं. 47 के लिए कुल मूल प्रावधान केवल ₹ 5.00 करोड़ था। गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से वस्तु शीर्ष '41-गुप्त सेवा व्यय' (लेखाशीर्ष-2013.00.106.02.01.41) के तहत प्रावधान को बढ़ाने के लिए ₹ 1.25 करोड़ का पुनर्विनियोजन आदेश (07 फरवरी 2018) जारी किया।

वित्त मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि पुनर्विनियोजन से पहले सीएजी का अनुमोदन प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करना वित्त मंत्रालय की अंतिम जिम्मेदारी है कि बजट प्रावधान से गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि की सहमति सीएजी के पूर्वानुमोदन से की गई है।

3.11 रक्षा पेंशन के तहत व्यय को गलत दर्ज करना

सरकारी लेखांकन प्रक्रिया "उचंत शीर्ष" के तहत कुछ मामलों में लेन-देनों को मध्यवर्ती दर्ज किए जाने के प्रचालन की अनुमति देता है। वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतिम लेखा शीर्ष में लेन-देनों को दर्ज करके उचंत शीर्षों का निपटान करना

आवश्यक है, क्योंकि उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष, सरकारी प्राप्तियों एवं खर्चों को, मामलों के अनुसार, कम आंकते हैं।

अपनी प्रकृति द्वारा, उचंत लेखा शीर्ष केवल व्यय के अंतिम शीर्ष में व्यय दर्ज करने से पूर्व ही प्रयोग में लाये जा सकते हैं। लेखापरीक्षा ने, फिर भी, पाया कि रक्षा पेंशनों (अनुदान सं. 22) से संबंधित लेन-देनों को दर्ज करने में विलक्षणता थी, जहाँ रक्षा लेखा महानियंत्रक ने प्रारम्भिक रूप से थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना पेंशनों (क्रमशः ₹ 2,660.18 करोड़, ₹ 128.40 करोड़ एवं ₹ 211.42 करोड़) के व्यय को दर्ज किया तथा फिर ₹ 3000.00 करोड़ की संपूर्ण राशि को उचंत शीर्ष में अंतरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप रक्षा पेंशनों पर उक्त व्यय शून्य रहा।

मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 31 जनवरी 2019

(ममता कुंद्रा)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(केन्द्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 फरवरी 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक